Serial No. 32106 Book No. :- 1 Deed No. 26472

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते INDIA

बिहार BIHAR

Serial No. 32106 Deed No. 26472

Govt. of Bihar
District Registry Office ,Patna
Summary of Endorsement

This document was presented for registration on 05/10/2012 by Nirmala Devi
A Stamp Duty of Rs. 116100/- and other Fees of Rs. 929/- has been paid in it.
The document was found admissible. The Names, Photographs, Fingerprints and Signatures of the Executants and their Identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the reverse page.
The document has been registered as Deed No. 26472 in Book No. 1, Volume No. 506 on pages from 440 to 457 and has been preserved in total 18 pages in C.D. No. 79 / Year 2012

Signature with Date
(Ashok Kumar Thakur)
Registering Officer, Patna

Date: 05/10/2012 Token No: 32930 /2012

For Neelkantha Solutions Pvt. Ltd.

विकास कार्य एकरारनामा

यह विकास एकरारनामा आज दिनांक 05.10.2012 ई० को निम्नलिखित पक्षकारों के बीच निष्पादित किया जाता है।

श्रीमती निर्माला देवी पति दिनेश प्रसाद यादव, निवासी साकिन– मठीयापुर, पोस्ट एवं थाना– दानापुर, जिला–पटना, बिहार भारतीय नागरिक,वर्तमान पता–द्वारा दिनेश प्रसाद यादव, सहदेव पथ रोड नं0–14, पटेल नगर पटना–23, भूखण्ड स्वामी (प्रथम पक्ष) भुखण्ड स्वामी से अभिप्राय उन सभी सदस्यों को सम्मिलित किया जाता है जिसका संघ भुखण्ड स्वामी की भूखण्ड मे निहित प्रतिनिधि वारिसान सदस्य, प्राधिकृत एजेन्ट, उत्ताधिकारी एवं प्रशासकीय प्रतिनिधि सम्मिलित है। इनके अलावा उनके उत्तराधिकारी, तथा हितबद्ध उत्तराधिकारी को शामिल करेगे जिन्हे उसमें प्रथम पक्ष कहा गया है।

एंव

मेसर्स NEELKANTHA SOLUTIONS PVT. LTD. (पंजियन संख्या– U45200BR2012PTC018391) जो भारतीय कम्पनी एक्ट 1956 ई0 के अन्तर्गत निबंधित है जिसका निबंधित कार्यालय– मजिस्ट्रेट कॉलोनी, मेन रोड, पोस्ट–आशियाना नगर, थाना–राजीव नगर, पटना–25, द्वारा प्रबंधक निदेशक श्री अशोक कुमार ,पिता श्री अम्बिका यादव निवास स्थान मो0– मजिस्ट्रेट कॉलोनी मेन रोड, पोस्ट –आशियाना नगर ,थाना– राजीव नगर , पटना–25, के माध्यम सें सम्पादित किया जाता हैं, जिन्हें इसके आगे डेवेलपर/भवन निर्माता/ उन्नयनकर्त्ता/ विकासक इत्यादि के नाम से सम्बोधित किया गया है जिसमे उनके कार्यालय के अधिन्यासी नामित एवं उत्तराधिकारी इत्यादि सम्मिलिति है, जो इसमें द्वितीय पक्ष के रूप में वर्णित है, के बीच सम्पादित हुआ है ।

यह कि जमीन मालिक का सहायक रोड पर स्थित भूमि जिसका एराजी–29 डी0 (उनतीस डी0) है, वाके मौजा–जमसौत, प्रगना–फुलवारी, थाना एवं सव रजिस्ट्री दानापुर तथा सदर रजिस्ट्री वो जिला–पटना, थाना नं0–30 (तीस) तौजी नं0–5456, खाता नं0–178 (एक सौ अठत्तर), कैडेस्ट्रल सर्वे प्लौट नं0–2321 (दो हजार तीन सौ इक्कीस) वो जमाबन्दी नं0–801 है जिसका पूर्ण विवरण इस वसीका के अनुसूची–1 में दर्ज है।

यह कि जमीन मालिक प्रथम पक्ष उपरोक्त सम्पत्ति पर स्वामी के रूप में स्वत्व धारित करते हुए निर्विवाद रूप से शान्तिपूर्वक दखल कब्जा में है। जिसका पूर्ण विवरण इस विलेख के अनुसूची संख्या–1 में वर्णित है, जो इस विलेख का भाग है।

यह कि अनुसूची संख्या–01 में वर्णित सम्पत्ति को जमीन मालिक प्रथम पक्ष ने अपने खास अर्जित आय से बजरिये वसीका निर्विवाद बिक्रय पत्र के माध्यम से दिनांक–27.12.1978 को क्रय किया था जिसका वसीका संख्या–5187, बुक नं0–1, जिल्द न0–32, पेंज न0–584 से 588, ई0, निबंधित निबंधन दानापुर है वो तारीख खरीदारी के दिन से लेकर आज तक जमीन मालिक प्रथम पक्ष उपरोक्त सम्पत्ति पर स्वतंत्र रूप से

निर्माला देवी
5-10-12

For Neelkantha Solutions Pvt. Ltd.
Director
5-10-12

वहैसियत सम्पत्ति मे स्वामी वो दखलकार वो हकदार होकर वो रहकर सम्पत्ति को अपने निजी प्रयोग में लाते रहे है। तदनुसार जमीन मालिक निर्विवाद रूप से स्वामी के रूप में शान्तिपूर्वक दखल कब्जे में रखकर एवं अपने नाम से दाखिल खारिज करा कर सरकार को लगान का भुगतान करते चले आ रहे है जिसका दाखिल खारीज केस नं0–412/1991–92 वर्ष 1991–92 एवं जमाबंदी नं0–801 दर्ज है। इस तरह से लेख्य सम्पत्ति का अन्तरण एवं किसी प्रकार एकरारनामा इत्यादि करने के लिए सक्षम है।

प्रथम पक्ष उक्त जमीन के विकास हेतू प्रख्यात विकासक की खोज कर रहे थे और उन्हे द्वितीय पक्ष के अलावे अन्य कोई उपर्युक्त विकासक नही मिला जो उन्हे उचित मुआवजे पर कार्य कर सके।

यह कि उपर्युक्त दोनो पक्षो की सहमति से यह निर्णय लिया गया कि अनूसूची संख्या–01 की जमीन पर एक बहुमंजिला इमारत का निर्माण निम्नलिखित शर्तो एवं बंधको पर किया जाए।

1. यह कि द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष के सहमति से यह तय किया कि अनुसूची संख्या–01 की जमीन पर संबंधित नगर परिषद/ पटना नगर निगम से प्रस्तावित भवन का नक्शा एवं प्लान स्वीकृत कराकर उसके अनुरूप बहुमंजिला इमारत बनाएगें।

2. यह कि जमीन मालिक और द्वितीय पक्ष डेवेलपर के बीच इस सम्बन्ध में इस विलेख के निष्पादन के पहले से बातचीत चल रही थी और अब डेवेलपर ने अन्तिम रूप से यह निर्णय लिया है कि उक्त सम्पत्ति को उन्नयन के लिए ग्रहण करेगें और जमीन मालिक को आश्वासन दिया तथा आश्वस्त किया है कि उक्त सम्पत्ति का उन्नयन करने में किसी भी तरह से जमीन मालिक को क्षति नहीं पहुँचायेगें और यह भी कि वे जमीन मालिक को किसी दुसरे व्यक्ति के दावे से उन्मुक्त रखते हुए क्षति होने की दशा में इस एकरारनामा के निष्पादन पर न्यालय के निर्णय अनुसार कार्य करेगें।

3. यह कि उभय पक्ष सहमत हुए है कि द्वितीय पक्ष अनुसूची संख्या–01 में वर्णित जमीन पर बहुमंजिला इमारत की संरचना करेगे और उपरोक्त निर्माण के क्रम में जमीन मालिक प्रथम पक्ष का आरम्भ से अंत तक एक रूपया भी खर्च नही होगा ।

4. यह कि विकासकर्त्ता विभिन्न भूखण्डों को मिलाकर भी आवासीय इमारत एवं आधुनिक तरीके से फ्लैटों का निर्माण कर सकते है। उस स्थिति में भूखण्ड के रकबा के अनुसार उभय पक्षों से प्रतिशत का निर्धारण होगा तथा आवासीय बहुमंजिला कम्पलेक्स का निर्माण भूखण्ड के जमीन पर या उनके भूखण्ड के सम्मिलित जमीन पर होगा।

5-10-12

For Neelkanth Solutions Pvt. Ltd.

DIRECTOR

5-10-12

5. यह कि जमीन मालिक एवं भवन निर्माता ने यह तय किया कि भवन के अंतिम रूप से निर्माण के पश्चात सम्पूर्ण शिखर Terrace का व्यवहार जमीन मालिक के साथ–साथ उक्त इमारत के धारक तथा इमारत के स्वामियों या भविष्य में होने वाले स्वामियों द्वारा बनाये गया सदस्य भी करेंगे।

6. यह कि जमीन मालिक एवं भवन निर्माता द्वारा यह तय किया गया है कि संबंधित नगर परिषद /पटना नगर निगम या अन्य कोई भी प्राधिकार द्वारा स्वीकृत प्रस्तावित निर्माणधीन हिस्से में जमीन मालिक का **43** प्रतिशत **(तेतालीस प्रतिशत)** एवं भवन निर्माता का **57** प्रतिशत **(सन्तावन प्रतिशत)** परम निर्मित क्षेत्र फ्लैट, पार्किंग क्षेत्र इत्यादि में होगा और जमीन मालिक के हिस्से का निर्माण इस विलेख के अनुसूची संख्या–I एवं II में वर्णित Specification (विशिष्टताओं) के अनुसार ही होगा और यह प्रतिशत उनके द्वारा दिए गए पूर्ण जमीन के बदले में प्रदान किया है। जिसका वर्णित समय तीन साल छः माह तथा कृपा काल छः माह दिया जायेंगा ।

7. यह कि डेवेलपर ने स्वीकार किया है कि भवन प्रथम कोटि का सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ होगा और उक्त इमारत में प्रयुक्त सभी समान बिना मिलाबट के और दीर्घ गुणवता वाले आई0 एस0 आई0 ब्राण्ड के लगाये जायेंगे।

8. यह कि जमीन मालिक के सहमति और लिखित स्वीकृति से डेवेलपर उक्त जमीन पर बनाए जाने वाले इमारत कम्पलेक्स का नक्शा, स्वरूप और Elevation आकृति तैयार करने, जिसमें किये कार्य का Specification तथा प्रयोग किये जाने वाले सभी समानों, जो प्रथम कोटि का होना चाहिए, के लिये एक अभियंता /सह वास्तुकार Architect को दिये जाने वाले परिक्षमिक (Fee) डेवेलपर द्वारा दिया जाएगा और बहन किया जाएगा। यह भी तय हुआ है कि डेवेलपर उक्त जमीन का उन्नयन का अधिकतम अनुमान्य एफ0 ए0 आर0 सुनिश्चित करेंगे और तदनुसार उन्नयन योजना बनायी जाएगी और भवन स्वीकृति प्राधिकार अर्थात संबंधित नगर परिषद/ पटना नगर निगम अथवा संबंधित कार्यालय को भेजी जायेगी।

9. यह कि डेवेलपर उक्त वास्तुकार Architect द्वारा निर्मित प्लान जमीन मालिक की सहमति से संबंधित नगर परिषद/ पटना नगर निगम या और कोई अन्य प्राधिकारों के समक्ष जमीन मालिक से हस्ताक्षर कराकर उनकी ओर से जमा कर देंगे और जमीन मालिक की ओर से भवन प्लान की स्वीकृत प्राप्त करेंगे। उपर्युक्त कार्य से संबंधित खर्च का भुगतान डेवेलपर करेंगे।

For Neelkanth Solutions Pvt. Ltd.

DIRECTOR

10. यह कि अनुबंध के निष्पादन के बाद जमीन मालिक डेवेलपर को उनके कर्मचारियों, अभिकर्त्ताओं, कारीगरों, अभियन्ताओं एवं मजदूरों को उक्त सम्पति में प्रवेश करने की अनुमति देंगे, जिससे कि वे विभिन्न विकास कार्य यथा नक्शा और योजना का निर्माण जैसे कार्य कर सकें। वैसे विकास कार्य की सुविधाओं की अनुमाते डेवेलपर द्वारा संबंधित नगर परिषद/ पटना नगर निगम और अन्य प्राधिकारों से भवन निर्माण योजना की स्वीकृति के बाद दी जायेगी।

11. यह कि प्राकृतिक विपदा और डेवेलपर की शक्ति के नियंत्रण के बाहर के कारणों को छोड़कर जिससे उक्त सम्पति और निर्माण कार्य प्रभावित हो, भवन निर्माण की सीमा तीन वर्ष छः महीनें की होगी और उसके बाद कार्य पूर्ण करने का छः महीने कृपा काल का समय दिया जाएगा। उक्त निर्धारित अवधि कृपा काल सहित की गिनती संबंधित नगर परिषद/ पटना नगर निगम द्वारा नक्शा स्वीकृति के तिथि से या रजिस्ट्रर्ड एग्रीमेन्ट की तिथि जो बाद में हो, से की जायेगी। लेकिन विकास एकरारनामा के हस्ताक्षर के तिथि से चार महीने के अन्दर विकासक उक्त बहुमंजिला इमारत का प्रस्तावित नक्शा भूस्वामी से हस्ताक्षर करवा कर संबंधित नगर परिषद/ पटना नगर निगम या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी संस्था कें पास जमा कर देगें और जमा करने के तिथि से चार माह के अन्दर नक्शा पारित करवा लेंगे। वशर्ते की जमीन मालिक की ओर से सभी कागजात यथा म्युटेशन इत्यादि के मूल प्रति विकासक को उपलब्ध करा दी जायेगी। सरकारी अड़चन या प्रावधान या अन्य कोई कारण से यदि अक्त निर्धारित अवधि तक नक्शा पारित नहीं किया जा सकता है तो इसकी कोई जिम्मेवारी विकासक पर नहीं होगी।

5-10-12

12. यह कि जमीन मालिक सहमत है और वचनबद्ध है कि बिहार अपार्टमेन्ट स्वामित्व अधिनियम 2006 की धारा 5 उपधारा 1 एवं 2 तथा अन्य सभी प्रावधानो एवं नियमों का पालन करेंगे और अधिनियम के अनुरूप भवन निर्माण हेतु नक्शा पारित होने के बाद या पहले परन्तु रजिस्ट्रर्ड एग्रीमेन्ट होने के पूर्व विकासक एवं भूस्वामी अपने–अपने हिस्से का निर्धारण आपसी सहमति के आधार पर कर लेंगे जिसका उल्लेख चौदह पृष्ट में अंकित है तथा दोनो पक्ष अपने–अपने हिस्से के निरपेक्ष स्वामी होंगे तथा वे अपने हिस्से को पृथक रूप में बेचने/ अंतरण करने के हकदार होंगे और उसका नियमानुकूल सक्षम निबंधन कार्यालय में निबंधन करने के लिए स्वतंत्र होंगे जिसमें उक्त अधिनियम एवं नियम का पालन किया जायेगा। विकासक अपने हिस्से का क्षेत्र बंधक रखकर ऋण ले सकेंगे और बिक्रय के लिए एकरारनामा करेंगे। लेकिन विकासक द्वारा ली गयी ऋण जमीन मालिक के निर्मित हिस्से पर किसी भी हालत में नहीं ली जाएगी।

For Neelkantha Solutions Pvt. Ltd.

5-10- DIRECTOR

विकासक केवल अपने हिस्सा में निर्मित क्षेत्र को बंधक रखकर ही ऋण ले सकते है जिसमें भूमि भी सम्मिलित होगा।

13. यह कि जमीन मालिक सहमत है और बचनबद्ध है कि वे ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे डेवेलपर और उनके नामित व्यक्ति अथवा उत्तराधिकारी को कार्य करने में कोई बाधा हो और डेवेलपर को अधिकार होगा कि उक्त भूमि पर शांतिपूर्वक काम करने के लिये अधिकार प्राप्त हो। जिसमें निर्माण के लिए उसकी योजना बनाने, नक्शा पारित कराने तथा उक्त इमारत के निर्माण के प्रारम्भ होने के पश्चात अपने हिस्से के फ्लैटों के बिक्री हेतू एकरारनामा एवं बिक्री हेतु एकरारनामा एवं बिक्री पत्र की रजिस्ट्री इत्यादि करने का अधिकार शामिल रहेगा।

14. यह कि उक्त जमीन पर सम्पूर्ण इमारत कॉम्पलेक्स तथा उन्नयन कार्य पूर्ण होने पर डेवेलपर बिक्री योग्य निर्मित इमारत के प्रत्येक क्षेत्र का अनुपातिक आधार पर जमीन मालिक को 43% **(तेतालीस प्रतिशत)** सुपुर्द कर देंगे एवं डेवेलपर या उनके नामित अनुपातिक रूप से 57% **(संतावन प्रतिशत)** हिस्सा के भागीदार होंगे, साथ हीं साथ इस श्रेणी की तकनीकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए निर्माण प्रथम कोटि का होगा।

15. यह कि भू–स्वामी एवं विकासक के परम निर्मित क्षेत्र का विभाजन प्रस्तावित निर्माण हेतू नक्शा पारित होने के पश्चात परन्तु कार्य प्रारम्भ होने के पूर्व कर ली जायेगी। निर्मित फ्लैट एवं कार पार्किंग क्षेत्र का विभाजन या आबंटन सिस्टम **Alternate Choosing** पद्धति पर आधारित होगा।

16. यह कि जमीन मालिक का क्षेत्र पर जमीन मालिक को 43% **(तेतालीस प्रतिशत)** का अधिकार होगा जिसका निर्धारण और स्पष्टीकरण इमारत निर्माण हेतू प्रस्तावित नक्शा पारित होने के बाद किया जायेगा। किन्तु फ्लैटों के जमीन मालिक के क्षेत्र का निर्धारण आपसी मेल जोल से उपरोक्त तरीके से होगा तथा सम्मिलित क्षेत्र अर्थात सीढ़ी घर, रास्ता, पम्प घर, जेनरेटर घर, वाहन क्षेत्र लिफ्ट स्थान, प्रहरी घर, सामुहिक शौचालय एवं सम्मिलित (सामुहिक) उपयोग की अन्य चीजें जमीन मालिक और डेवेलपर दोनों के द्वारा सामुहिक रूप से उपयोग की जायेगी एवं भविष्य में रख रखाव पर होने वाला खर्च सम्मिलित रूप से मालिकाना हक कें अनुपात में वहन किया जायेगा। साथ ही साथ उभय पक्षों के बीच यह शर्त निर्धारित है कि वर्तमान में पारित नक्शे के अलावा यदि भविष्य में प्राधिकार द्वारा अतिरिक्त निर्माण की स्वीकृति मिलती है या विकासकर्त्ता अन्य किसी तरीके से अतिरिक्त निर्माण कार्य करते है तब वैसी हालत में जमीन मालिक का हिस्सा 43% **(तेतालीस प्रतिशत)** उपरोक्त तरीके से निर्धारित किया जायेगा तथा अतिरिक्त निर्माण की स्वीकृति का खर्चा जो लगेगा उस खर्च

5-10-12

For Neelkantha Solutions Pvt. Ltd.
DIRECTOR
5-10-12

मे जमीन मालिक को 43% **(तेतालीस प्रतिशत)** तथा डेवलपर को 57% **(संतावन प्रतिशत)** लगाना होगा ।

17. यह कि डेवेलपर को उक्त जमीन के उन्नयन का अधिकार होगा जिसका उन्नयन वे उस जमीन पर इमारत / फ्लैट बनाकर, कार पार्किंग स्थान और उन्नयन tenement के द्वारा जो संबंधित नगर परिषद/ पटना नगर निगम और अन्य सम्बन्धित प्राधिकार से स्वीकृत नक्शा की शर्तो एवं बंधनों के अनुसार करेंगे अथवा उक्त उदेश्य के लिए जमीन मालिक विकासकर्त्ता को जरूरत पड़े तो वैसे सभी कार्य (Acts Deeds Matters) कों करने के लिए विकासकर्त्ता को अधिकृत करते हैं जिसमें खास बाते निम्नवत् है :–

(क) उक्त जमीन पर सम्बंधित प्राधिकार के नियमों एवं परिनियमों के अनुसार जमीन मालिक के नाम से प्रस्तावित इमारत की योजना बनाना और स्वीकृति के लिए आवेदन तैयार करना, कानूनी कदमों, बचनबद्धता संबंधी कागजातें तैयार करना, हस्ताक्षर करना तथा परियोजना की स्वीकृति के लिए उन्हें जमा करना।

(ख) इमारत तथा परियोजना के लिए सर्वेयर, इंजीनियर, ठेकेदार, मजदूर और अन्य लोगो को नियुक्त करना।

(ग) पानी, बिजली, और अन्य सुविधाओं के लिए संबंधित अधिकारियों को आवेदन करना तथा सीमेन्ट, लोहा और अन्य भवन निर्माण सामग्री के लिए सरकारी कोटा के परमिट के लिए आवेदन करना।

(घ) किसी भी याचिका, नोटिस या अन्य कानूनी प्रक्रिया प्राप्त करना और जमीन मालिक की ओर से उनके सहमति पर या आवश्यक होने पर किसी न्यायालय में किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट Tribunal या अन्य के समक्ष उपस्थित होना साथ ही किसी न्यायालय सरकारी अधिकारी या Tribunal के समक्ष उक्त सम्पत्ति से सम्बंधित किसी मामले, मुकदमें में उपस्थित होना, बचाव करना, मुकदमा दायर करना, सभी आवश्यक कागजात पेश करना एवं वकालतनामा दायर करने का स्वतंत्र अधिकार होगा।

(ड़) इमारत कम्पलेक्स में फ्लैट/ Tenements आदि खरीदने वालों को अपने फ्लैट के एवं वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण लेने के लिए डेवेलपर को इमारत में अपना हिस्सा बंधक रखना या बिक्री करना है।

(च) डेवलपर्स को यह अधिकार होगा कि वे अपने 57% हिस्से को सीधे अथवा सरकारी समितियों द्वारा बेचे, आवंटित करें और

For Neelkantha Solutions Pvt. Ltd.
DIRECTOR

खरीदारों के नाम बिक्रय पत्र निष्पादित करें या भविष्य में बिक्री हेतु रखें एवं प्राप्त राशि को अपने पास या खातों में रखें।

(छ) जमीन मालिक ने स्वीकार किया है कि यदि डेवेलपर उक्त परियोजनों से सटे या उसके आस–पास की जमीन पर कोई दूसरी परियोजना का विस्तार करें तो उन्हें किसी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं होगा।

(ज) डेवेलपर को यह अधिकार होगा कि वे उपरोक्त जमीन पर उन्नयन उस पर फ्लैट, पार्किंग स्थान सहीत 57% क्षेत्र को बेचेगे, आवंटित करेंगे अथवा निरस्त करेंगे जैसी जरूरत हो, वैसी करेंगे, ऐसी अधिकार उन्हें डेवेलपर क्षेत्र के निर्माण पर होगा जिसे वे उचित समझें बेचे और ऐसे फ्लैट इकाईयों/ Tenements पार्किंग स्थान का मूल्य वसुले और खाते में अपने लिए रखें।

(झ) उपर्युक्त जमीन पर प्रस्तावित इमारत के लिए योजना को सम्बंधित प्राधिकार के नियमो उपनियमों या अन्य Clauses के अन्तर्गत तैयार कर इसे संबंधित नगर परिषद/ पटना नगर निगम अथवा सक्षम अधिकारियों द्वारा स्वीदृत कराने के लिए आवेदन करेंगे तथा जमीन मालिक ऐसे सभी आवश्यक घोषणाओं, शपथ–पत्रों और अन्य कानूनी अथवा Dtatutory कागजातों को संबंधित नगर परिषद/पटना नगर निगम अथवा अन्य अधिकारियों के समक्ष हस्ताक्षर करेंगे।

(ञ) यह कि विकासक के द्वारा जो भी खर्च इस एग्रीमेंट मे हो रहा है वों जमीन कें मालिकाना हक कें कानुनी अडचन आने पर जमीन मालिक के द्वारा सारा खर्च ब्याज सहित वापस कर दिया जायेगा। यह कि उक्त भूमि के उन्नयन हेतु रजिस्ट्रर्ड एग्रिमेंन्ट कें बाद उक्त भूमि पर भूमि कें मालिकाना हक कें अलावें अगर कोई भी विवाद या दूर्घटना या घटना होता है तो इसकीं पुरी जिम्मेवारी विकासक पर आयेगी और वे इसका निपटारा करेगें। इस पर लगनें वाले खर्च जमीन मालिक कहीं भी हिस्सेदार नहीं होगें ।

18. यह कि जमीन मालिक घोषणा करते है

(क) यह कि जमीन मालिक को उक्त जमीन से संबंधित इसके अधिग्रहण या अधियाचना के लिए कोई नोटिश या अधिसूचना प्राप्त नहीं हुई है और उन्हें इसका उन्नयन करने या कराने का पूर्ण अधिकार है।

(ख) यह कि उक्त जमीन से संबंधित इस जमीन या इनके किसी हिस्से पर कोई दावा, भाग, निषेधाज्ञा या संलग्नता किसी

For Neelkantha Solutions Pvt. Ltd.
DIRECTOR

करारोपन अधिकारी, राजस्व अधिकारी या सरकार अथवा स्थायी निकायों या अधिकारियों द्वारा नहीं है।

(ग) यह कि उक्त जमीन से सबंधित कोई मनोबंध या व्यवस्था नहीं चल रहा है साथ ही साथ जमीन मालिक यह भी एकरार करते है कि विकासक को उपरोक्त बहुमंजिला इमारत के निर्माण क्रम में किसी प्रकार का कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे एवं कार्य में रूकावट पैदा नहीं करेंगे और अगर विकासकर्त्ता को किसी ऐसे व्यवस्था का पता चले या जमीन मालिक द्वारा निर्माण कार्य में रूकावट पैदा किया जाता है तो विकासकर्त्ता को यह मनोबंध रद्द करने और इसको पूरा खर्च 18 प्रतिशत सूद के साथ जमीन मालिक से वसूल करने का अधिकार होगा।

(घ) यह कि जमीन मालिक के अलावा उक्त जमीन पर किसी और व्यक्ति का कोई अधिकार, हिस्सा या हक नहीं है और जमीन मालिक किसी वेनामी जमीन मालिक के बेनामीदार नहीं है।

(ड.) यह कि जमीन मालिक ने घोषणा की है कि उक्त जमीन पर कोई दायित्व या अवभार नहीं है और अगर उसपर कोई झुठा दावा करता है तो जमीन मालिक ऐसे दावे को अपने खर्च पर चुनौती देंगे।

(च) यह कि उक्त जमीन के अधिकार सं संबंधित किसी भी न्यायालय में कोई मुकदमा नहीं चल रहा है और कोई भी शुल्क और कर इस विलेख लिखे जाने तक बाकी नहीं है और इसके पूर्व कोई टैक्स या शुल्क बकाया हो तो जमीन मालिक उसके भुगतान करेंगे।

(छ) यह कि जमीन मालिक उक्त जमीन के बहुमंजिला इमारत के निर्माण हेतु मनोबंध हो जाने के बाद प्रस्तावित इमारत में डेवेलपर का हित एवं हिस्सा सुरक्षित रहेगा तथा जमीन मालिक बचन बद्ध है कि वे पूर्वोक्त घोषणाओं के विरूद्ध कोई काम या कार्रवाई नहीं करेंगे।

(ज) यह कि जमीन मालिक को उन्नयनकृत सम्पति में अपने हिस्से को बेचने,पट्टा पर देने अथवा निपटाने का अधिकार होगा।

(झ) यह कि जमीन मालिक उक्त विकासक को भवन निर्माण की निर्धारित अवधि तक किसी अन्य को किसी प्रकार से हस्तांतरित नहीं करेंगे।

19. इस उन्नयन मनोबंध की शर्त के अनुपालन के साथ दोनो पक्षों के बीच यह स्पष्ट सहमति हुई है कि डेवेलपर इमारत कम्पलेक्स में निर्माण क्षेत्र का 50 प्रतिशत बिक्री योग्य हिस्से को डेवेलपर अपने खरीदारों के

For Neelkantha Solutions Pvt. Ltd.
DIRECTOR

पक्ष को उचित ढंग से हस्तांतरित करने के लिए डेवेलपर सभी कदम उठायेंगे एवं सम्पूर्ण खर्च का वहन करेंगे।

20. डेवेलपर उक्त जमीन का उन्नयन "मेसर्स NEELKANTHA SOLUTIONS PVT. LTD." के नाम से करेंगे और पार्किंग स्थान सहित सारा निर्माण खर्च केवल डेवेलपर द्वारा वहन किया जायेगा तथा केवल डेवेलपर ही सरकार / पटना नगर निगम एवं अन्य अधिकारियों के प्रति इस जमीन के उन्नयन के लिए जवाब देय होंगे तथा जमीन मालिक को इससे सम्बंधित कार्यवाही मांग दावा, खर्च–नुक्सान, दण्ड अथदा अन्य कार्य असफलता, विलम्ब शुल्क या अनुबंध विच्छेद के कारण (नगर परिषद/पटना नगर निगम या अन्य प्राधिकारो द्वारा निर्मित नियमों के अन्तर्गत) हुई क्षति से कोई सरोकार नहीं रहेगा। इस भवन का नाम "नीलकंठा दिनेश" होगा ।

21. जमीन मालिक अपनी सहमति और बचनबद्धता व्यक्त करते हैं कि वे डेवेलपर के पक्ष में इस मनोबंध की शर्तो एवं बचनो के अनुरूप उक्त जमीन कं उन्नयन से संबंधित सभी आवश्यक कार्य करने के लिए विकासक को प्राधिकृत करते हैं जो अपने हिस्से की जमीन बिक्री के विमित एकरारनामा इत्यादि निष्पादित करेंगे।

22. इस उन्नयन मनोबंध के तथा इसमें संबंधित सभी खर्च शुल्क कानूनी खर्च जिसमें हस्तांतरण का स्टाम्प खर्च और निबंधन खर्च शामिल हैं। विकासकर्त्ता या उनके नामितों द्वारा वहन किया जाएगा।

23. संबंधित नगर परिषद/ पटना नगर निगम द्वारा इमारत की योजना की स्वीकृति से निर्धारित अवधि या छः महिने की कृपा अवधि के अन्तर्गत अगर डेवेलपर इमारत के निर्माण में असफल हो जाते है अथवा जमीन मालिक को उनके हिस्सा निर्मित क्षेत्र सुपूर्द करने में अस्मर्थ रहते है (क्योंकि समय सीमा इस मनोबंध का प्रमुख अंग है) तो वैसे किसी दैवी कारण या नियंत्रण के बाहर प्राकृतिक विपदा को छोड़कर जो इस निर्माण कार्य प्रभावी करता है वैसी हालत में पूर्वाक्त निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत इमारत को पूरा न करने के कारण डेवेलपर को जमीन मालिक को विलम्ब दंड देना होगा। जो प्रस्तावित भवन निर्माण हेतु नक्शा पारित करने की तिथि से तीन वर्ष छः माह का निर्धारित अवधि एवं कृपा काल की छः माह की अवधि के समाप्ति के दिन से लागू होगा निर्मला देवी — यह आगें दण्ड वर्णित हैं ।

24. यह कि निर्माण अवधि में भूस्वामी बहुमंजिला इमारत के निर्माण हेतु व्यवहार में लाये गये समानो की जॉच किसी भी कार्य दिवस में उचित अवधि के अन्दर कर सकते है इसमें भू–विकासक को किसी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं होगा लेकिन बहुमंजिला इमारत के निर्माण हेतु

निर्मला देवी
5-10-12

For Neelkantha Solutions Pvt. Ltd.
DIRECTOR
5-10-12

व्यवहार में लगाये जाने वाली समस्त सामानों की पूरी जिम्मेवारी विकासक पर होगी परन्तु भूस्वामी स्थल पर कोई कार्यालय नहीं खोल सकते है।

25. यह कि यदि भू–विकासक उपरोक्त इमारत के रख–रखाव एवं प्रबंधन हेतु किसी सहकारी संस्था या प्रबंध समिति को गठन करते है तो स्थापना खर्च का व्यय भूस्वामी को नहीं देना होगा।

26. (क) यह कि इमारत में लगने वाली अन्य सुविधायें जैसे लिफ्ट, ट्रान्सफर्मर, बिजली कनेक्शन (मीटर सहित) इत्यादि खर्च को वहन करने की कोई जिम्मेवारी भूस्वामी पर नहीं रहेगी।

(ख) भूस्वामी अपने नाम पर हिस्से के फ्लैट के लिए बिजली कनेक्शन लेने के लिए तीन वर्ष के अन्दर आवेदन पत्र विकासक को दे देंगे ताकि बिजली कनेक्शन कार्य समय पर हो सके।

27. (क) यह कि विकासक जब तक जमीन मालिक को उनके हिस्से के क्षेत्र का अनुपातिक निर्माण करके उसका दखल कब्जा नहीं दे देते है या रख देते है तब तक विकासक द्वारा बिक्री किये गये किसी भी उक्त इमारत के किसी भी खरीदार को भी इमारत में निबंधित बिक्रय पत्र निष्पादित नहीं होगा।

(ख) जमीन मालिक अपने हिस्से का फ्लैट प्राप्त करने के पश्चात ही उसे बिक्री करने योग्य या किराये पर देने योग्य का उसके संबंध किसी प्रकार अग्रिम प्राप्त करने योग्य हो सकेंगे।

28. यह कि इस मनोबंध की शर्तो के अनुसार उक्त जमीन पर प्रस्तावित इमारत के बिक्री योग्य निर्मित क्षेत्र पर अधिकार एवं हित के अतिरिक्त जमीन मालिक को परम् निर्मित क्षेत्र तथा सिढ़ी, रास्ता, लिफ्ट, पानी की टंकी, जेनेरेटर का कमरा, खुला जगह वाहन पार्किंग स्थान और सभी सामूहिक क्षेत्र पर भी जमीन मालिक को अनुपातिक (परन्तु बंटवारा योग्य) अधिकार होगा।

29. डेवेलपर संबंधित नगर परिषद/ पटना नगर निगम के नियम, परिनियम और कानूनो का दृढ़ता से पालन करेंगे और किसी क्षति दावा, मांग जो नियमो और कानूनो उल्लंघन से उत्पन्न हो उसे जमीन मालिक को किसी भी प्रकार का सरोकार नहीं रहेगा।

30. इमारत की योजना में डेवेलपर सभी समान (Civil), बिजली, Pulumbing and Sanitory कार्यो जिसमें उपरी टंकी, पानी व्यवस्था, नल,पम्प, गृह सेवा आदि शामिल है वे संबंधित नगर परिषद/ पटना नगर निगम की स्वीकृति योजना के अनुसार तथा उच्च कुणवक्ता वाले ISI ब्राण्ड का होगा।

5-10-12

For Neelkantha Solutions Pvt. Ltd.

DIRECTOR

31. इस इमारत या परिसर के विकास के बाद जो व्यक्ति या लोग फ्लैट खरीदेंगे वे बाद में किसी तरह के देय नुक्सान या दावा क्षति–पूर्ति के लिए खुद जिम्मेवार होंगे। फ्लैट बिकने के बाद उपरोक्त कार्यो के लिए डेवलपर या भूस्वामी जिम्मेवार नहीं होंगे।

32. प्रस्तावित इमारत संबंधित नगर परिषद / पटना नगर निगम द्वारा स्वीकृत हो रहे वास्तुशिल्प की विशिष्टयों के अनुसार निर्मित होगी।

33. यह कि उक्त इमारत के निर्माण के क्रम में जमीन मालिक या विकासक के बीच किसी प्रकार के विवाद का निपटारा Indin Arbitration Act. के अन्तर्गत किया जायेगा जिसका न्यायालय पटना के क्षेत्र में हीं होगा।

34. यह कि लेख्य फ्लैटो से संबंधित जरूरी कार्यो के लिए जमीन मालिक ही प्राधिकृत है क्योंकि अपने परिवार के कर्त्ता की हैसियत से वरीय सदस्य होने के नाते परिवार के हित में आव यक कानूनी कार्य करने हेतु नियमानुकूल प्राधिकृत है।

35. ग्रेस अवधि के समाप्ति के पश्चात निम्रण कार्य पुरा नहीं होता है तो ऐसी परिस्थितियों में 2000/–रूपये प्रति दिन के दर से डेवेलपर हजार्ना के रूप में जमीन मालिक कों अदा करेंगे।

5-10-12

For Neelkantha Solutions Pvt. Ltd.

DIRECTOR

फ्लैटो का बंटवारा

जमीन मालिक का हिस्सा

(1) ग्राउण्ड फलोर

(2) द्वितीय तल्ल

(3) अगर जमीन मालिक के कुल आवंटित 43 % में एरिया कम हुआ तों चतुर्थ तल्ला पर दिया जाएगा ।

डेवेलपर का हिस्सा

(1) प्रथम तल्ला

(2) तृतीय तल्ला

(3) चतुर्थ तल्ला

अनुसूची–1

क्षेत्रफल–29 डी0. परती भूखण्ड, वाके मौजा–जनसौत, परगना– फुलवारी, थाना एवं सब रजिस्ट्री– दानापुर, सदर रजिस्ट्री ऑफिस एवं जिला–पटना, जिसका मूल्यांकन **थाना कोड नं0–151**, रेभेन्यू थाना नं0–30 (तीस) तौजी नं0– 5456, खाता नं0–178 (एक सौ अठत्तर), कैडेस्ट्रल सर्वे प्लौट नं0–2321 (दो हजार तीन सौ इक्कीस) वो जमाबन्दी नं0–801 और सम्पति पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (विघटित) के अन्दर है जिसका अन्य विवरण एवं दिशान्त निम्नवत है।

चौहद्दी

उत्तर– लक्ष्मण सिंह
दक्षिण– नन्द कुमार साह
पूरब– पईन
पश्चिम– विसुनदयाल राम

जमीन का मूल्य :–58,00,000/– (अंठावन लाख रूपये) मात्र।

अनुसूची–2

जमीन मालिक के खेत्र का वास्तुशास्त्रीय एवं ढाचा विवरणः–

ढांचा : डी0 एस0 सी0/पी0 एस0 सी0 द्वारा स्वीकृत प्रथम कोटि विरोध आर0 सी0 फरेम ढांचा

Civil : डी0 एस0 सी0/पी0 एस0 सी0 द्वारा स्वीकृत प्रथम कोटि का सिमेन्ट बालु एवं मसाला।

परिजसज्जन : जमीन मालिक के हिस्से कि सभी भीतरी दिवारों एव विडलवाल पटी का एवं प्रथम सतह प्राइमर एवं डिसटेम्पर सहित एवं बाहर की दिवार पलास्टर की होगी और स्मोसेम से पुर्ति होगी।

दरवाजे – दरवाजें लकड़ी का चौखट तथा दरवाजें का पल्ला 32 एम0एम0 प्लाई बोर्ड का फ्लश डोर होगा तथा उस पर दो तक सिन्थेटिक इनेमेल पेन्ट होगा। पेन्ट की गुणवता प्रथम कोटि का हेागा।

खिड़कीयॉ – स्टील फरेम, ग्रील एवं सीसा लगा हुआ।

फर्श – मार्बल (कट–साईज) कमरे के आकार के आयताकार अनुरूप इसी क्षेत्रफल अन्य मार्बल (कट–साईज) कमरे आकार के आयताकार अनुरूप इसी क्षेत्र फल अन्य मार्बल 2'0''x 2'0''

शौचालय – सभी शौचालय में ठंडा एवं गर्म पानी का नल, सफेद गलेज्ड टाईल्स 7 फीट उॅचाई तक, सभी शौचालय का साजों समान ISI ब्राड का उपयोग होगा। किचेन का फ्लोर मार्बल एवं किचेन वेस ग्रीन मार्बल/ब्लैड ग्रेनाईट का होगा एवं बाथरूम फ्लोर सिरामिक टाईल्स /मार्बल का होगा।

रसोईघर – ग्रेनाईट का कार्यकारी Platform तथा स्टेनलस स्टील का सिंक, कार्यकारी Platform से 24 इंच उॅची रंगीन टाईल्स।

लिफ्ट – एम.सी./पी.एम.सी. के नियम के अनुसार उत्तम क्वालिटी का लिफ्ट होगा।

बिजली – मानक बिजली सामग्री के साथ कन्सील्ड पी.भी.सी. Conducit Wrin सभी शयन कक्ष में A.C. प्वाइंट एवं ड्राइंग एवं मास्टर में केबुल प्वाइंट एंकर मार्का

पलम्बिंग एवं सेनेट्री – सभी पलम्बिंग एवं सेनेट्री कार्य ISI मार्क का होगा। पैन एवं बेसिन तथा सिस्टर्न (पैरी वेयर/हिन्दुस्तान), पी.भी.सी. का पाईप ISI मार्क के प्रथम क्वालिटी का होगा।

5-10-12

For Neelkantha Solutions Pvt. Ltd.
DIRECTOR

उपर्युक्त Specification esa Promoters/Architect द्वारा निर्मित कुछ फेर बदल सम्भव है।

पूर्वस्त Finishing केवल जमीन मालिक के क्षेत्र के लिए है और सभी निर्मित क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। जमीन मालिक द्वारा इसके अतिरिक्त कार्य करने के पश्चात मूल्य का भुगतान करना होगा।

अनुसूची संख्या–3

जमीन मालिक के फ्लैट की खास विशेषताएँ –

1.बैठकखाने में एक इंटर कॉम का प्वाइंट एवं टी.भी.प्वाइंट।
2.चौबीस घंटे अपने ट्यूबवेल से जुड़े सामुहिक उपरी टंकी से पानी की व्यवस्था।
3.बैठकखाने में टेलीफोन प्वाइंट (कनेक्शन नहीं)।
4.फ्लैट के अन्दर Concealed बिजली जिसमें तांबे का तार होगा।

इस वास्ते यह विलेख विकास एकरारनामा उपर्युक्त शर्त के अनुसार आज दिनांक– 05.10.2012 ई0 को प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष के पक्ष में गवाहान के समक्ष लिख दिया कि समय पर काम आवे एवं प्रमाण रहे।

गवाहगण का हस्ताक्षर–

1. Rajiv Kumar Pandey
S/o - Ram Udar Pandey
Asiyana Nagar
Patna 25

निर्मला देवी
5-10-12
हस्ताक्षर प्रथम पक्ष

For Neelkantha Solutions Pvt. Ltd.
Director
हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष 5-10-2012

2. धर्मेन्द्र राय
पि0 - प्रवरण राय
ग्रा0 कराड़ी
पो0 - नानी बसंतपुर
जि0 सीवान

टंकणकर्त्ता
Deepak Kr.
दीपक कुमार
समाहरणालय, पटना

प्रारूपकर्त्ता–
Pritam Kumar Singh
Advocate
CBA, Patna
Regno-135/90

Endorsement of Certificate of Admissibility

Admissible under Rule 5 : duly Stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian Stamp Act, 1899, Schedule I or I-A, No. '05'. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act	Rs. 116100/-	Amt.Paid By N.J Stamp Paper	Rs. 5000/-
Addl.Stamp duty paid under Municipal Act	Rs. 0/-	Amt.paid through Bank Challan	Rs. 112029/-

Registration Fee

FEE PAID

A1	0	C	0	H1b	0	K1a	0	Lii	0		
A8	0	D	0	H2	0	K1b	0	Liii	0		
A9	0	DD	0	I	150	K1c	0	Mb	25		
A10	0	E	250	J1	0	K2	0	Na	54		
B	0	H1a	0	J2	0	Li	0				
								TOTAL-	479		

Total amont paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. - 929

LLR + Proc Fee		Service Charge
LLR	0	450
Proc.Fee	0	
Total	0	

Registering Officer
Patna

Date: 05/10/2012

Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office, Patna on Friday, 05th October 2012 by Nirmala Devi W/O Dinesh Prasad Yadav by profession Business. Status - Executant

निर्मला देवी
5-10-12

Signature/L.T.I. of Presentant

Date:05/10/2012

Registering Officer
Patna

Endorsement under section 58

Execution is admitted by those Executants and Identified by the person (Identified by 'Raju Kumar Pandey' age '39' Sex 'M', 'Ram Udar Pandey', resident of 'Magistrate Colony,patna'.), whose Names, Photographs, Fingerprints and Signatures are affixed as such on back page / pages of the instrument.

Registering Officer
Patna

Date : 05/10/2012

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered at Registration Office Patna in Book 1 Volume No. 506 on pages on 440 -457 , for the year 2012 and stored in CD volume No. CD-79 year 2012 .The document no. is printed on the Front Page of the document.

Registering Officer
Patna

Date : 05/10/2012

Token No. : 32930 Year : 2012 S.No. : 32106 SCORE Ver.3.0 Deed No . : 26472

अन्दर मो० शब्दों में (रू०)

चतुर्थ प्रति **बिहार सरकार** गैर मानक

(जमाकर्त्ता कार्यालय हेतु) **निबंधन विभाग**

दस्तावेजों के निबंधन के लिए जमा किए जाने वाले स्टाम्प शुल्क/निबंधन शुल्क एवं भूस्वामी के निबंधन शुल्क के भुगतान के लिए बैंक चालान

1. पक्षकार का नाम/पता ...तिलकधारी सोलपुरिया प्रा० लि०...
2. (जिसकी ओर से जमा किया जा रहा है) ...सही मोतिहरी कोलाघी...
3. दस्तावेज का प्रकार ...अतिरिक्त नगर परानं-25...
4. निबंधन कार्यालय ...विकास एकरालामा...
5. बैंक का नाम एवं शाखा ...पटना सचि... ...स्टेट बैंक पटना...

रू०सं०	भुगतान का मद एवं शीर्ष	रकम
(क)	स्टाम्प शुल्क-मुख्य शीर्ष-0030-स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क उप शीर्ष-03 मुख्य शीर्ष-0001, सकल प्राप्तियां प्राथमिक इकाई-7549 सकल प्राप्तियां विपत्र कोड-R003002103000 1	1,11,100
(ख)	निबंधन शुल्क-मुख्य शीर्ष-0030-स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क उप मुख्य शीर्ष-03 पंजीकरण शुल्क, लघु शीर्ष-104-दस्तावेजों का पंजीकरण शुल्क-उप शीर्ष 0001, प्राथमिक इकाई-7549 सकल प्राप्तियां विपत्र कोड-R003003104000 1	250 54 175 479
(ग)	भूस्वामी शुल्क-मुख्य शीर्ष-0029 भू राजस्व लघु शीर्ष-80 अन्य प्राप्तियां-उप शीर्ष-0006 अन्य मदें-प्राथमिक इकाई-7549 भूमि निबंधन शुल्क से आय विपत्र कोड-R002900800000 6	1
	रुपये कुल राशि शब्दों में ...एक लाख ग्यारह हजार पांच सौ उन्यासी... मात्र	कुल योग 1,11,579

जमाकर्त्ता का नाम एवं हस्ताक्षर

स्थान ...पटना...

तारीख ...4/10/12...

चेक/ड्राफ्ट का विवरण पीठ पर अंकित कर दें।

चेक/ड्राफ्ट की राशि अन्तरित होने के पश्चात ही मान्य होगी।

FOR USE OF THE BANK

स्क्रौल नं०..... तारीख

संख्या 05 में दिए गये विवरण के अनुसार कोलाघी ... शब्दों में..... प्राप्त किया।

RAM SURESH SINGH ID NO- 12...

प्राधिकृत पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

निबंधन हेतु सूचित 08 OCT 2012 जमा करने का विवरण

...में..... एसको लेखा सं० :

जमा पर्ची/Pay-in-slip नकद/अंतरण/CASH/TRANSFER

भारतीय स्टेट बैंक
State Bank of India

शाखा/Branch

दिनांक/Date 4/10/12

खाते का प्रकार : बचत बैंक/चालू खाता/आवर्ती जमा/कैश क्रेडिट खाता/सावधि ऋण खाता सं०/Type of Account : SB / CA / RD / CC / DL / TL A/C. No.

0 1 1 0 9 [illegible] 0 9 2

के बैंक खाते में जमा करने हेतु/For the credit of the Bank Account of

नकद/चेकों के विवरण/Details of Cash/Cheque(s)/Overleaf	राशि/Amount रु० / Rs.	पै० / P.
खाते में नकद जमा/Cash Deposit in the account	450	00
नकदी रखरखाव शुल्क/Cash Handling charges	1	
कुल जमा/Total Deposit	450	00
रुपये (शब्दों में)/Rupees (in words) ...चार सौ पचास रुपये...		

(कार्यालय प्रयोग हेतु/FOR OFFICE USE)

एस.डब्ल्यू.ओ./ S.W.O.	लेखा अधिकारी/प्रेषण अधिकारी Data Officer/Posting Officer

कूट सं०/Code No. 596 / 2005964 / Satya/ 5 Lac.

भारत निर्वाचन आयोग
पहचान पत्र
ELECTION COMMISSION OF INDIA
IDENTITY CARD

RAB1415801



निर्वाचक का नाम राजु कुमार पाण्डेय

Elector's Name Raju Kumar Pandey

पिता का नाम राम उदार पाण्डेय

Father's Name Ram Udar Pandey

लिंग /Sex पुरूष/Male

जन्म तिथि
Date of Birth 1 2 0 5 1 9 7 3

RAB1415801

पता : मजिस्ट्रेट कॉलोनी, मेन रोड,
आशियाना नगर
शहर/गाँव - पटना,
अंचल - पटना सदर,
जिला - पटना, 800025

Address : Megistrate Colony, Main Road, Ashiyana Nagar
Town/Vill - Patna,
Anchal - Patna Sadar,
Distt. - Patna, 800025

दिनांक / Date : 23/9/2011

181,दीघा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर की अनुकृति
Facsimile Signature of Electoral Registration Officer 181,Digha, Constituency

पता बदलने पर, नये पते पर अपना नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज कराने तथा उस पते पर इसी नम्बर का कार्ड पाने के लिए सम्बंधित फार्म में यह कार्ड नम्बर अवश्य लिखें
In case of change in address, mention this card no. in the relevant form for including your name in the roll at the changed address and to obtain the card with the same number.

Rajit Kumar Pandey
5/10/2012

कृषक द्वारा दिखाये गये प्लॉट का निरीक्षण किया। वर्तमान में प्लॉट परती है तथा सघापक सड़क पर स्थित है।

22/11/2012

अवर निबंधक
बनपुर

